वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर

संख्या : 15 /XVII(1)-03/2007-07(77)/2006

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-03.

देहरादून, 10 जनवरी 2007

विषय : अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा-1 से 10 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-562/XVII(1)-03/2006-09(25)/2006, दिनांक 25 मई 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा-1 से 10 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु रूपये 6,13,96,000/- (रूपये छः करोड़ तेरह लाख छियानवे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
2. उक्त आबंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल अनुसार शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति, यदि आवश्यक हो तो, ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
3. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
4. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुवल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
6. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।

7 स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक ही किया जाए।

9. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक की "अनुदान संख्या–15" के "आयोजनागत पक्ष" के लेखाशीर्षक "2250–अन्य सामाजिक सेवाएं–00–800–अन्य व्यय–91–अल्पसंख्यक समुदाय के कक्षा 1–10 के छात्रों को छात्रवृत्ति–00" के मानक मद "21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन" के नामे डाला जाएगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–780/XXVII(3)/2006, दिनांक 05 जनवरी 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : 16 (1)/XVII(1)-03/2007–07(77)/2006, तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव–माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून
8. कोषाधिकारी, हल्द्वानी, जनपद–नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून
12. समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून
14. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र सिंह दताल)
उप सचिव।